<u>सूचना के अधिकार से संबंधित मामला</u>

संख्या : 21020/1/2012-हिंदी
भारत-सरकार
गृह-मंत्रालय

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : अप्रैल 23, 2012

सेवा में,

श्री कुदरतुल्लाह खां,
बी-25, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट,
फैज़ रोड, नई दिल्ली-110005

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री कुदरतुल्लाह खां द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह-मंत्रालय, राजभाषा-विभाग के दिनांक 05.04.2013 के पत्र सं. 12013/06/2013-रा.भा.(कार्यान्वयन-।) के माध्यम से अंतरित और इस मंत्रालय के दिनांक 16.04.2013 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 43020/01/2013-आर.टी.आई. के माध्यम से राजभाषा-प्रभाग में दिनांक 18.04.2013 को मिला सूचना के अधिकार से संबंधित अपना दिनांक रहित आवेदन देखें ।

2. जहां तक उपर्युक्त विषय पर आपके सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के प्रश्न सं. 15 का संबंध है, यह निवेदन है कि इस मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस मंत्रालय में औसतन 43.25 फ़ीसद ख़तो किताबत हिंदी में की जाती है और बाक़ी ख़तो किताबत अंग्रेज़ी में की जाती है । इस मंत्रालय में उर्दू या अन्य किसी भाषा में कोई ख़तो किताबत नहीं की जाती ।

भवदीय,

अवधेश मिश्र

(अवधेश कुमार मिश्र)
निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : श्री संजय मित्रा, अवर सचिव, भारत-सरकार आर.टी.आई. अनुभाग, गृह-मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को उनके ऊपर संदर्भित दिनांक 16.04.2013 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या: ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. के संदर्भ में ।

अवधेश मिश्र

(अवधेश कुमार मिश्र)
निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 16/04/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ कुदरतुल्लाह खाँ .... का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ कुदरतुल्लाह खाँ .... के दिनांक: रहित /~~2010~~ के आवेदन (इस प्रभाग में राजभाषा विभाग .... से अंतरण द्वारा दिनांक: 09 / 04 /2013 को प्राप्त) को निदेशक (राजभाषा) प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक......./......./2013 को रसीद सं.............................के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

संजय मित्रा

(संजय मित्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (राजभाषा)

गृह मंत्रालय,

नॉर्थ ब्लॉक

नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ कुदरतुल्लाह खाँ

B-25, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट,

[illegible], नई दिल्ली - 110005.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

87501/2013/DS/G

आर0टी0आई0 मामला/समयबद्ध

सं0.12013/ 06/2013-रा.भा. (का0.1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

22691/RTI/2013
11/4/13

एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अप्रैल, 2013

To,

The Deputy Secretary(E) & CPIO,
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 28.3.2013 के पत्र को सभी अनुलग्नकों सहित मूल रूप में वापस करते मुझे यह कहना है कि जन सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के अन्तर्गत Shri Kudratullah Khan द्वारा मद सं0 15 में मांगी गयी सूचना कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग से संबंधित नही है ।

भवदीय,

राज क्रिशन भोरिया
5/4/2013

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(राज क्रिशन भोरिया)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

Shri Kudratullah Khan, B-25, Shyama Prasad Mukherje Market, Faiz Road, New Delhi को सूचनार्थ ।

US(RTI)
8/4

Dir (Hindi)

9/4/13

S.O.(RTI)

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 28th March, 2013.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.
******

Please refer to your application dated Nil under the RTI Act, 2005 which was received in this Ministry on 12/03/2013.

2. It is observed that you have sought huge information on various subjects on most of the points in the application, which is not available with any Department/Division/Wing of the Ministry of Home Affairs. Further, you have raised questions/queries on several points seeking the opinion of the Public Authority, which is not permissible under the RTI Act, 2005. It is informed that under this Act, a Public Authority is under obligation to provide only that information (to the applicant) which exists in the records and is available with or under the control of that Public Authority. Since the information requested is scattered among various Public Authorities, transfer of application to all such authorities is not possible. Therefore, you are requested to obtain the same directly from the concerned Public Authority (by filing separate applications) as specified by the Department of Personnel & Training in their O.M No.10/2/2008-IR dated 12.06.2008 (copy enclosed).

3. However, the application is being transferred under Section 6 (3) of the RTI Act, 2005 to only one public authority viz. Department of Official Language for furnishing information in respect of part of Point No 15. As regards the information sought vide Points No.1 to 4 of the application, it is stated that the details are available on the official website of the Ministry of Home Affairs viz. ***www.mha.nic.in***. In respect of remaining points which are related to this Ministry, the application is being forwarded to the concerned CPIO(s) for taking necessary action.

4. The prescribed fee has been received in this Ministry vide Receipt No.24078 dated 14/03/2013, copy of which is enclosed.

Encl: As above.

(Srinibas Pradhan)
Deputy Secretary (E) & CPIO

To

Shri Kudratullah Khan,
B-25, Shyama Prasad Mukherje Market
Faiz Road
New Delhi – 110 005.

(P.T.O)

Copy along with copy of RTI application to:

1. The Under Secretary (Impl), Department of Official Language, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi (for part of Point No. 15)

2. Director (NI), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi (for Points No. 8 to 10).

3. The Under Secretary (DP-II), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi (for Points No. 5 to 7).

(Srinibas Pradhan)
Deputy Secretary (E) & CPIO

1723/RTI/2013
15/3/13

(1)

Page No.
Date
12 MAR 2013
4528/8

सेवा में

गृह मंत्री भारत सरकार

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या उर्दू भाषा में आर. टी. आई. 2005 के तहत चाहिए। दस रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसका नम्बर ये है –

Website

प्रश्न 1. गृह मंत्रालय में कुल कितने शाखा हैं?

प्रश्न 2. गृह मंत्रालय के सभी शाखाओं का पूरा पता और सम्पर्क नम्बर क्या है?

प्रश्न 3. हर एक शाखा में क्या – क्या काम होते हैं?

प्रश्न 4. हम किस शाखा से किस तरह की जानकारी आर.टी.आई. 2005 के अन्तर्गत मालूम कर सकते हैं?

U.S.(नी)

प्रश्न 5. इन्दिरा गांधी कान्ड में सिख दंगे में कितने सरदार भाई मारे गए तथा कितनी दुकानें जलीं और कितने घर तथा फैक्टरियां बर्बाद हुईं?

प्रश्न 6. कितने सरदार भाईयो को मुआवजा मिला और किस – किस तरह से मुआवजा मिला तथा कब मिला। जान पर कितना? टूट – फूट पर कितना? दुकान पर कितना? फैक्टरी पर कितना? मकान पर कितना मुआवजा मिला?

प्रश्न 7. मुआवज़ा किस फंड और कहाँ से दिया गया? सिख दंगे में कितने दोषियों को सज़ा मिली और कितने लोगों के नाम से एफ. आई. आर. की गई?

प्रश्न 8 1947 से 2012 तक कितने मुस्लिम दंगे हुए?

प्रश्न 9. 1947 से 2012 तक कितने मुसलमान मारे गए? कितनी दुकानें जलीं? कितने मुसलमानों के मकान तथा कितनी फैक्टरियां जलीं?

प्रश्न 10 – कितने मुसलमानों को 1947 से 2012 तक मुआवज़ा मिला और किस – किस तरह से मुआवज़ा मिला और –

अगले अंक से –

Reply
SC Advis

D/o (M.15)

Page No. / Date

किस डिपार्टमेन्ट से मुआवज़ा मिला ?

11. मेरठ मलियाना उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, गोधी कांड गुजरात, मुम्बई कांड की कार्यवाही कहाँ तक पहुँची और इसका पूर्ण फैसला कब तक हो जायेगा ?

प्रश्न 12. पूरे देश की आबादी कितनी है? मुसलमान कितने प्रतिशत हैं? देश जेलो मे कुल कितने लोग बन्द हैं? कितने प्रतिशत मुसलमान बन्द हैं ?

प्रश्न 13. देश में कुल कितने मुसलमान सरविस मे हैं? कितने प्रतिशत ए॰ क्लास, कितने प्रतिशत बी॰ क्लास, कितने प्रतिशत सी॰ क्लास तथा कितने प्रतिशत फोर क्लास में हैं?

प्रश्न 14. भारत देश मे कितने प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं और समझते हैं? कितने प्रतिशत अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं? और कितने प्रतिशत उर्दू बोलते हैं समझते हैं?

प्रश्न 15. गृह मन्त्रालय मे कितने प्रतिशत हिन्दी मे काम होता है? और कितने प्रतिशत उर्दू मे काम होता है तथा कितने प्रतिशत अंग्रेजी मे काम होता है और कितने प्रतिशत देश अन्य भाषाओ मे काम होता है?

प्रश्न 16. थाना प्रदेश गौरमेन्ट के अन्दर में काम करता है या सेन्ट्रल गौरमेन्ट के अन्दर में काम करता है ?

प्रश्न 17. पुलिस स्टेशन गौरमेन्ट किस लिए बनाती है?

प्रश्न 18. आम जनता को पुलिस बगैर किसी कानून के अदालत मे बन्द कर सकती है या नहीं ?

प्रश्न 19. पुलिस कानून 1947 से पहले का है या बाद का बनाया हुआ कानून ?

प्रश्न 20. थाना मे प्रदेश की दूसरी भाषा मे काम किया जा सकता है या नहीं

प्रश्न 21. बैंक मे प्रदेश की दूसरी भाषा मे काम किया जा सकता है या नहीं ?

प्रश्न 22. एफ॰ आई॰ आर॰ पर दूसरे फरीक के रजामन्दी पर —

अगले अंक मे —

Page No. ____ Date ____

एफ. आई. आर. को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है?

23. भारतीय जनता के मामले में पुलिस को कितना इख्तियार है

प्रश्न 24. भारत के नागरिकों के खान-पान-पूजा पाठ का कानून एक है या हर प्रदेश का कानून अलग-अलग है?

प्रश्न 25. भारत में गौकशी पर क्या सज़ा है?

इन 25 प्रश्नो का उत्तर हिन्दी या उर्दू भाषा में चाहिए।

प्रार्थी - कुदरतुल्लाह खाँ

पोस्टल आर्डर न. 06F 694521

पता - बी-25 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट फैज रोड नई दिल्ली 110005

09313334779

011 23634791